बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्रांक :– DoH/SS/01/2025– 44. /पटना दिनांक 27.05. 2025

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय : **राज्य स्कीम मद से चाय विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 तक दो वर्षों के लिए कुल 655.295 लाख (छः करोड़ पचपन लाख उन्तीस हजार पाँच सौ) रूपये की लागत पर कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अन्तर्गत वितीय वर्ष 2025–26 में कुल 491.62750 लाख (चार करोड़ इकानवे लाख बासठ हजार सात सौ पचास) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

राज्य स्कीम मद से चाय विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 तक दो वर्षों के लिए कुल 655.295 लाख (छः करोड़ पचपन लाख उन्तीस हजार पाँच सौ) रूपये की लागत पर कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अन्तर्गत वितीय वर्ष 2025–26 में कुल 491.62750 लाख (चार करोड़ इकानवे लाख बासठ हजार सात सौ पचास) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के 5 जिलों यथा–किशनगंज, अररिया, सुपौल, कटिहार एवं पूर्णियाँ के इच्छुक कृषकों को चाय की खेती के क्षेत्र विस्तार एवं मौजूदा चाय बागान के प्रबंधन हेतु आवश्यक अनुदान देकर चाय के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना तथा कृषकों के आय में वृद्धि करना है।

3. चाय की खेती माह अप्रैल–जून एवं सितम्बर–नवम्बर में की जाती है। राज्य में करीब 6000 हे० में चाय की खेती की जाती है। राज्य के जिला किशनगंज एवं उसके आस–पास के जिले का जलवायु चाय की खेती के लिए मुख्यतः उपयुक्त है। राज्य सरकार द्वारा राज्य में चाय की वाणिज्यिक गुणों एवं बाजार मूल्य के उचित उपयोग तथा रोजगार सृजन के दृष्टिगत चाय के क्षेत्र विस्तार की योजना की स्वीकृति दी जा रही है।

4. चाय क्षेत्र विस्तार का कार्यक्रम कृषक/कृषक समूह/एफ.पी.ओ./एफ.पी.सी. के माध्यम से कराया जायेगा। चाय का क्षेत्र विस्तार के लिए चाय के पौध रोपण सामग्री का क्रय स्वयं कृषक के द्वारा किया जायेगा।

5. योजना अन्तर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से संबंधित विवरणी अनुसूची–01 के रूप में संलग्न है।

6. इस योजना अन्तर्गत घटकवार संक्षित विवरण निम्नवत् है :—

(क) चाय का नया क्षेत्र विस्तार — इस घटक अन्तर्गत जमीन की समतलीकरण, गड्ढे का निर्माण, पौध रोपण सामग्री, समेकित पोषण प्रबंधन एवं समेकित कीट—व्याधि प्रबंधन, शष्य क्रियाएं इत्यादि पर व्यय होने वाली कुल लागत राशि 4.94 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर का 50 प्रतिशत 2.47 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दो किस्तों (75:25) में दिया जायेगा। प्रति हेक्टेयर कुल अनुदान की राशि 2.47 लाख रूपये का 75 प्रतिशत 1.8525 लाख रूपये प्रथम किस्त के रूप में वित्तीय वर्ष 2025—26 में कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु भुगतान की जायेगी एवं द्वितीय किस्त के रूप में प्रति हेक्टेयर कुल अनुदान की राशि 2.47 लाख रूपये का 25 प्रतिशत 0.6175 लाख रूपये वित्तीय वर्ष 2025—26 में लगाये गये पौधे का 90 प्रतिशत पौधा जीवित रहने के उपरांत प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के भौतिक सत्यापनोपरांत सहायक निदेशक उद्यान द्वारा भुगतान किया जायेगा। चाय की खेती हेतु प्रति हेक्टेयर 15556 पौधे की आवश्यकता होगी। इस योजना अन्तर्गत चाय के क्षेत्र विस्तार के लिए इकाई लागत दिनांक 23.06.2021 को हुई यूनिट कॉस्ट कमिटी द्वारा निर्धारित है।

(ख) मौजूदा चाय बागान प्रबंधन के लिए अन्य हॉर्टिकल्चर अवयव :— इस घटक अन्तर्गत लीफ कलेक्शन शेड को सम्मिलित किया गया है। लीफ कलेक्शन शेड हेतु इकाई लागत के रूप में टी बोर्ड ऑफ इण्डिया के द्वारा निर्धारित इकाई लागत को लिया गया है। उक्त सभी घटकों के अनुदान का भुगतान आवेदक द्वारा जमा किए गए बिलों / विपत्र में अंकित वास्तविक राशि का 50% या उक्त अवयव/घटक का निर्धारित इकाई लागत का 50% दोनों में से जो राशि न्यूनतम होगा, वह राशि ही आवेदक को अनुदान के रूप में देय होगा। चाय का नया क्षेत्र विस्तार अवयव के लाभुक लीफ कलेक्शन शेड के लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे।

(ग) चाय उत्पादकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम :— इस घटक अन्तर्गत चाय की खेती योजना अंतर्गत प्रत्येक जिलों से 05—05 किसानों/चाय उत्पादकों यानि कुल 25 किसानों के समूह को प्रत्येक वर्ष एक—एक प्रशिक्षण (कुल दो प्रशिक्षण), चाय प्रशिक्षण से संबंधित केन्द्र यथा Tea Reasearch Institute, Tocklai, Jorhat, Nagrakata में कराया जायेगा।

7. जिन कृषकों द्वारा विगत तीन वर्षो के अन्दर इस योजना का लाभ लिया जा चुका है, को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025—26 में इस योजना अन्तर्गत किसी भी घटक का लाभ नहीं दिया जायेगा।

8. इस योजना के कार्यान्वयन एजेंसी संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान होंगे।

9. इस योजना हेतु 33—01 सब्सिडी विषय शीर्ष से स्वीकृति दी जा रही है परन्तु इस शीर्ष में बजट उपबंध उपलब्ध नहीं है। उद्यान निदेशालय के लिए राज्य योजना मद में 31—06 सहायक अनुदान — गैर वेतन विषय शीर्ष में बजट उपबंध उपबंधित है परन्तु इस विषय शीर्ष में वित्त विभागीय परामर्श अनुसार विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि स्वीकृत/आवंटित करना नियमानुकूल नहीं होने के कारण निदेशक, उद्यान द्वारा सहायक अनुदान वेतन मद में उपबंधित राशि को 33—01 सब्सिडी, 28—02 संविदा सेवाएं मद एवं 13—01 कार्यालय व्यय मद में उपबंधित करने हेतु बजट पदाधिकारी —सह— उप सचिव, कृषि विभाग, बिहार से अनुरोध किया गया है। 33—01 सब्सिडी मद में वित्त विभाग द्वारा राशि उपबंधित होने के पश्चात् ही इस योजना हेतु स्वीकृत राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय किया जा सकेगा।

10. योजनान्तर्गत कोटिवार 78.537 : 20.00 : 1.463 के अनुपात में लाभुकों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

11. योजना संबंधित कार्यान्वयन अनुदेश सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर अलग से निर्गत किया जायेगा।

12. इस योजना अन्तर्गत सृजित मानव कार्य दिवस की संख्या 703800 होगी।

13. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक उद्यान, बिहार, होंगे।

14. योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनुसूची–02 के अनुसार वित्त विभागीय पत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 का अनुपालन करते हुए संबंधित जिला के कोषागार से Form No. BTC-25 पर CFMS के माध्यम से किया जायेगा।

15. योजना कार्यान्वयन के क्रम में प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अन्दर आवश्यक संशोधन/अन्तर परिवर्तन किया जा सकेगा।

16. वितीय वर्ष 2025–26 में बजट उपबंध से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रू० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119–बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0101– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401001190101, विषय शीर्ष 0101–3301 सब्सिडी।	19084.491	386.10949
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष – 00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष – 0130 उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01.2401007890130, विषय शीर्ष 0130–3301 सब्सिडी	4860.000	98.32550
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष– 00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0152 – उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01.2401007960152, विषय शीर्ष 0152–3301 सब्सिडी	355.509	7.19251
कुल	**24300.000**	**491.62750**

उद्यान निदेशालय का पत्रांक–431 दिनांक–18.04.2025 के द्वारा विषयशीर्ष 31–06 सहायक अनुदान गैर वेतन में उपलब्ध उपबंधित राशि को विषयशीर्षवार 33–01 सब्सिडी, 28–02 संविदा सेवाऍ मद एवं 13–01 कार्यालय व्यय मद में उपलब्ध कराने हेतु उप सचिव–सह–बजट पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है। अतः अगले अनुपूरक आगणन के पश्चात उक्त विषयशीर्ष में उपबंधित राशि की प्राप्ति होने के पश्चात ही योजना अन्तर्गत राशि की निकासी एवं व्यय किया जा सकेगा।

17. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 तथा पत्रांक–201 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक 19.05.2025 को सचिव, कृषि की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में अनुशंसा प्राप्त है। योजना प्रस्ताव

एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या– DoH/SS/01/2025 के पृ0सं0–17 / टि0 पर दिनांक–26.05.2025 को प्राप्त है।

18. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

19. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– DoH/SS/01/2025 के पृष्ठ संख्या–19 / टि० पर दिनांक–27.05.2025 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–365 दिनांक–27.05.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पनी कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– DoH/SS/01/2025– 44 / पटना दिनांक 27.05. 2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– DoH/SS/01/2025– 44 / पटना दिनांक 27.05. 2025

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– DoH/SS/01/2025– 44 / पटना दिनांक 27.05. 2025

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– DoH/SS/01/2025– 44 / पटना दिनांक 27.05. 2025

प्रतिलिपि : सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना / सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\YOGNA 2025-26\Mirnal Sastri Sir (Gaurav)\CHAI (491.6275).doc

ज्ञापांक :– DoH/SS/01/2025– 44 /पटना दिनांक 27.05. 2025

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक/संबंधित उप निदेशक उद्यान/संबंधित, जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित, सहायक निदेशक उद्यान/संबंधित, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/ मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– DoH/SS/01/2025– 44 /पटना दिनांक 27.05. 2025

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची–01

वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 तक दो वर्षों में कार्यान्वित की जाने वाली चाय विकास योजना संबंधित कार्य योजना

(भौतिक – हेक्टेयर/संख्या में, वित्तीय – लाख रूपये में)

क्र० सं०	अवयव	इकाई	इकाई लागत	अनुदान	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (प्रथम वर्ष 2025–26)	वित्तीय लक्ष्य (द्वितीय वर्ष 2026–27)	कुल वित्तीय लक्ष्य	कार्यान्वयन का समय
1	चाय का नया क्षेत्र विस्तार								
a	किशनगंज	हेक्टेयर	4.94	50% (75:25)	250	463.12500	154.37500	617.50000	अप्रैल–जून एवं सितम्बर–नवम्बर
b	अररिया	हेक्टेयर	4.94	50% (75:25)	2	3.70500	1.23500	4.94000	
c	कटिहार	हेक्टेयर	4.94	50% (75:25)	2	3.70500	1.23500	4.94000	
d	पूर्णियाँ	हेक्टेयर	4.94	50% (75:25)	5	9.26250	3.08750	12.35000	
e	सुपौल	हेक्टेयर	4.94	50% (75:25)	2	3.70500	1.23500	4.94000	
	कुल				261.00	483.5025	161.1675	644.6700	
2	मौजूदा चाय बागान के लिए अन्य हॉर्टिकल्चर अवयव।								
a	Leaf Collection Shed	संख्या	0.75	50%	15	5.62500	-	5.62500	केवल किशनगंज जिला के कृषकों के लिए।
b	Training Programme to planters	संख्या	2.5	-	2	2.50000	2.50000	5.00000	किशनगंज जिला के साथ–साथ अररिया, कटिहार, सुपौल एवं पूर्णियाँ के कृषकों का प्रशिक्षण।
	कुल				17	8.12500	2.50000	10.62500	
A	सकल योग (1+2)					491.6275	163.66750	655.295	

(छः करोड़ पचपन लाख उन्तीस हजार पाँच सौ) रूपये मात्र।

संजय कुमार सिन्हा

अनुसूची :– 02

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना के तहत चाय विकास योजना अन्तर्गत कार्यान्वयन एजेन्सी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार एवं श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण

(वित्तीय लाख रू० में)

क्र० सं०	जिला/कार्यान्वयन एजेन्सी/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	वित्तीय लक्ष्य (प्रथम वर्ष 2025–26)				
		वित्तीय लक्ष्य	श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य			
		वित्तीय लक्ष्य (प्रथम वर्ष 2025–26)	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल योग (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक निदेशक उद्यान, किशनगंज	471.25000	370.10561	94.25000	6.89439	471.25000
2	सहायक निदेशक उद्यान, अररिया	3.70500	2.90980	0.74100	0.05420	3.70500
3	सहायक निदेशक उद्यान, कटिहार	3.70500	2.90980	0.74100	0.05420	3.70500
4	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्णियाँ	9.26250	7.27449	1.85250	0.13551	9.26250
5	सहायक निदेशक उद्यान, सुपौल	3.70500	2.90980	0.74100	0.05420	3.70500
कुल		**491.62750**	**386.1095**	**98.32550**	**7.1925**	**491.62750**

निदेशक उद्यान, बिहार,
पटना

संजय कुमार सिन्हा